डीजीटी-ई-13019/01/2023-हिंदी

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

*****

नई दिल्ली- 110012

दिनांकः30जनवरी, 2024

सेवा में,

अधीनस्थ कार्यालयों एवं संस्थानों के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/प्राचार्य

विषयः अधीनस्थ कार्यालयों को अपने क्षेत्र में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लेने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की बैठकों में नियमित रूप से शामिल होना आवश्यक है।

2 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का उद्देश्य केंद्र सरकार के देश भर में फैले कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच प्रदान करना है। इस मंच पर नराकास के सदस्य हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई उत्तम नीतियों के बारे में जानकारी पर विचार-विमर्श करके तथा उसका आदान-प्रदान करके अपनी उपलब्धियों के स्तर में सुधार ला सकते हैं। समिति की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। नगर विशेष में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के प्रशासनिक प्रमुखों द्वारा इस समिति की बैठकों में व्यक्तिगत तौर पर सहभागिता करना अपेक्षित है।

3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के द्वारा प्रशासनिक प्रमुखों को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। राजभाषा विभाग (मुख्यालय)/ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारी इन बैठकों में भाग लेते हैं। नराकास की बैठकों में विचारार्थ बिंदुओं की चैक लिस्ट नराकास के गठन के समय आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध कराई जाती है।

4. इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप उक्त विषय पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा निर्धारित प्रोफॉर्मा (संलग्न) में मांगी गई अपेक्षित जानकारी शीघ्रातिशीघ्र हिंदी एकक को उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

इसे **उप महानिदेशक महोदय** के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

गुलाब चंद्रा

(गुलाब चंद्रा)

सहा. निदेशक, राजभाषा (प्रभारी)

संलग्नः उपरोक्तानुसार

प्रति सूचनार्थः-

1. महानिदेशक/अपर सचिव के पीएसओ
2. उप महानिदेशक (दक्षिण), उप महानिदेशक (पूर्व) तथा उप महानिदेशक (मुख्या) के प्रधान निजी सचिव
3. संयुक्त निदेशक (सीएफआई)
4. सहायक निदेशक (रा.भा.), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

<u>अनुलग्नक</u>

<u>प्रोफॉर्मा</u>

1.	कार्यालय का नाम व पता	
2.	कार्यालय प्रमुख का नाम एवं पदनाम	
3.	हिंदी अधिकारी/नामित हिंदी अधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाइल नं.	
4.	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सदस्य कार्यालय का विवरण	
	4.1 सदस्य कार्यालय का नामः 4.2 प्रमुख का नामः 4.3 पदनामः 4.4 पताः 4.5 ई-मेलः 4.6 फोन नं.: 4.7 मोबाइल नं.:	
5.	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अंतिम बैठक कब हुई, जिसमें कार्यालय प्रमुख ने भाग लिया	

दिनांकः ....

स्थानः ....

(कार्यालय प्रमुख का सील सहित हस्ताक्षर)

नामः..............................

पदनामः............................